उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार

पिन कोड– 249404

Website: www.ukpsc.gov.in

संख्या : 149/**10/E-3 /H.C.S./2017-18** दिनांक : 17 जून, 2020

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा **मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाईपिस्ट, सहायक लाईब्रेरियन परीक्षा– 2018** के माध्यम से **सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाईपिस्ट, सहायक लाईब्रेरियन** के रिक्त पदों पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/विज्ञापन/ई–3/2018–19 दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 तथा शुद्धि पत्र संख्या 62/10/ई–3/H.C.S./2017–18 दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 के सापेक्ष दिनांक 29 दिसम्बर, 2019 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या 01/08/गोपन–02/एच0सी0प्री0प0–18/2020–21, दिनांक 13 मई, 2020 द्वारा घोषित किया गया है।

2– उक्तांकित प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु पदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी को प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम में प्रत्येक पद, जिसके लिये उसे सफल घोषित किया गया है, के सापेक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार पृथक–पृथक मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर पदवार दिये गये लिंक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पद, जिसके लिये उसे प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया है, के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित प्रक्रियानुसार परीक्षा शुल्क जमा करें। शुल्क जमा करने के उपरान्त, आवेदन–पत्र में अंकित दावों के समर्थन में **निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाईन आवेदन–पत्र के प्रिंटआउट के साथ दिनांक 10 जुलाई, 2020 (शुक्रवार) की सायं कार्यालय अवधि समाप्ति से पूर्व तक** सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें :–

(I) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।

(II) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।

(III) स्नातक उपाधि एवं अंक–तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)।

(IV) डिप्लोमा प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)

(V) अन्य अनिवार्य अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। (यदि कोई हो, तो)

(VI) अधिमानी अर्हताओं (Preferential Qualifications) सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

(VII) अनुभव, जिसका दावा किया हो, सम्बन्धी प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर। (यदि लागू हो।)

(VIII) आरक्षण एवं स्थायी निवास सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम् निर्धारित प्रारूप पर)।

(IX) यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवारत् है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

(X) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण–पत्रों में भिन्नता हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।

(XI) मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने संबंधी रसीद।

नोट : आवेदन–पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समस्त वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

3— मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन–पत्र के विभिन्न चरणों से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं :—

विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि	18.06.2020 (गुरुवार)
ऑनलाईन आवेदन–पत्र में परीक्षा शुल्क Net Banking/ Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	(03.07.2020) (रात्रि 11:59 बजे तक) (शुक्रवार)
आवेदन–पत्र का प्रिन्टआउट समस्त संलग्नकों सहित आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	(10.07.2020)(शुक्रवार) (कार्यालय अवधि समाप्ति से पूर्व तक)

4— श्रेणी/उपश्रेणीवार मुख्य परीक्षा शुल्क निम्नवत् हैः—

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	मुख्य परीक्षा–शुल्क (Mains Exam Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 150	रू0 35.40	रू0 185.40
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150	रू0 35.40	रू0 185.40
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रू0 60	रू0 35.40	रू0 95.40
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रू0 60	रू0 35.40	रू0 95.40
05.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150	रू0 35.40	रू0 185.40
06.	उत्तराखण्ड शारीरिक विकलांग	कोई शुल्क नहीं	रू0 35.40	रू0 35.40

नोट :— उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा**— अनारक्षित या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

5— प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु सफल हुये हैं, उन्हें आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर पदवार दिये गये लिंक का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक पद के सापेक्ष पृथक–पृथक मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करना है एवं प्रत्येक पद हेतु **ऑनलाईन आवेदन–पत्र का प्रिंटआउट**, आवेदन–पत्र में अंकित दावों के समर्थन में समस्त संलग्नकों सहित पृथक–पृथक लिफाफे में आयोग को प्रेषित करना है।

6— अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन—पत्र का प्रिंटआउट, आवेदन पत्र में अंकित दावों के समर्थन में **समस्त संलग्नकों सहित दिनांक 10 जुलाई, 2020 (शुक्रवार) की सायं कार्यालय अवधि समाप्ति से पूर्व तक** सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदनपत्र का प्रिंटआउट (समस्त संलग्नकों सहित) **दिनांक 10 जुलाई, 2020 (शुक्रवार) की सायं कार्यालय अवधि समाप्ति से पूर्व तक** आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जायेगा, उन्हें आयोग द्वारा प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदनपत्र का प्रिंटआउट (समस्त संलग्नकों सहित) **ए—4 साइज के लिफाफे** में प्रेषित करें। लिफाफे के ऊपर **विज्ञापन संख्या, परीक्षा का नाम व पदनाम एवं अनुक्रमांक** अंकित कर ही आयोग कार्यालय को प्रेषित करें।

नोटः—वर्तमान में कोविड—19 महामारी के दृष्टिगत यदि कोई अभ्यर्थी कंटेनमेंट/रेड जोन/होम क्वारंटीन आदि की दशा में निर्धारित अवधि में आयोग मैं आवेदन पत्र जमा करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी परिस्थिति में विलम्ब के पर्याप्त साक्ष्य एवं उन कारणों से आयोग के सन्तुष्ट होने की दशा में उस अवधि तक आयोग के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से अधिकतम 14 दिवस (दिनांक 24.07.2020 तक) की शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

7— प्रश्नगत चयन में मुख्य परीक्षा व टंकण परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में किया जाएगा तथा परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट पर विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित की जायेगी।

8— उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र मूल विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन पत्र भरने की **अंतिम तिथि 31.12.2018** तक वैध होना अनिवार्य है। यदि उक्त तिथि के पश्चात प्रमाण पत्र को नवीनीकृत कराया गया है, तो पूर्ववर्ती तथा नवीनीकृत, दोनों प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। यदि पूर्ववर्ती प्रमाण पत्र की प्रति अभ्यर्थी के पास उपलब्ध न हो, तो जारीकर्ता कार्यालय से इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से, सम्यक् रूप से जारी प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा।)

-sd-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।